पत्रावली का अवलोकन किया। अधिवक्ता वादी की बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध पंजीबद्ध बयनामा दिनांक 22.05.2020 पृष्ट संख्या 194 क्रम संख्या 202003047100228 जिसके अनुसार मेवाराम पुत्र मांगीलाल जाति गुर्जर निवासी देवलीगांव ने श्रीमती कमला देवी पत्नी श्री जगदीश लाल गुर्जर निवासी जयपुर चुंगीनाका को ख. नं. 4989/4913 रकबा 1.00 है0 में से 0.64 है0 भूमि का विक्रय किया है। मेवाराम का मृत्यु प्रमाण पत्र दिनांक 15.06.2020 संलग्न पत्रावली है। नामान्तकरण प्रपत्र के अनुसार मेवाराम के वारिसान सुनिता व सांवरा दर्ज है, जिसके कारण विरासत से आराजी ख. नं. 4989/4913 रकबा 1.00 है0 का विरासत का नामान्तकरण मेंवाराम क्रे वारिसान सुनिता व सांवरा के नाम खुलने से जमाबन्दी सम्वत 2074-77 में ख. नं. 4989/4913 रकबा 1.00 है0 के खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है। पंजीबद्ध बयनामा दिनांक 22.05.2020 का नामान्तकरण नहीं खोले जाने से ख. नं. 4989/4913 रकबा 1.00 है0 में से 0.64 है0 का नामान्तकरण वादीया के नाम नहीं खोला गया जिसके कारण ख. नं. 4989/4913 रकबा 1.00 है0 में से 0.64 है0 में वादीया का नाम खातेदार के रूप में दर्ज राजस्व रिकॉर्ड नहीं हो पाया । जबकि वादीया ने जरिए पंजीबद्ध बयनामा उक्त आराजी को क्रय किया है, जो कानून सम्मत ख. नं. 4989/4913 रकबा 1.00 है0 में से 0.64 है0 की खातेदार होनी चाहिए। इस बाबत प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 ने भी इकबालिया जवाब व राजीनामा पेश किया है। अतः पंजीवद्ध बयनामा दिनांक 22.05.2020 पृष्ट संख्या 194 क्रम संख्या 202003047100228 के आधार पर वादीया श्री मती कमला देवी पत्नी जगदीश लाल गुर्जर निवासी जयपुर चुंगीनाका, देवलीगांव तहसील देवली को राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी संम्वत 2074-77 खाता संख्या 1022 ख. नं. 4989/4913 रकबा 1.00 है0 में से 0.64 है0 वाके ग्राम देवलीगांव तहसील देवली, का खातेदार घोषित किया जाता है। तदनुसारय डिकी पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
देवली

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ 20 रूल्स 6व 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी...मुकाम

देवली व अलजाम श्री भारत भूषण गोयल आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी देवली टोंक ....

श्रीमति कमला देवी पत्नि जगदीश लाल गुर्जर जाति गुर्जर उम्र 47 वर्ष निवासी जयपुर चुंगीनाका देवलीगांव तहसील देवली जिला टोंक राज.

—वादीगण—

बनाम

1. सांवरा पुत्र मेवाराम जाति गुर्जर निवासी देवलीगांव तहसील देवली जिला टोंक राज.
2. सुनिता पुत्री मेवाराम जाति गुर्जर निवासी देवलीगांव तहसील देवली जिला टोंक राज.
3. तहसीलदार देवली जिला टोंक राज.

—प्रतिवादीगण—

दावा उद्घोषणा खातेदारी व स्थायी निषेधाज्ञा

मुकदमा नं. 93 सन् 2021

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू..मुझ श्री भारत भूषण गोयल आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी देवली बहाजरी श्री रामलाल कटारिया अधिवक्ता वादीगण मिनजामिन मुद्दई रूबरू श्री धर्मराज गुर्जर अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 व 2 व पेरोकार सरकार मिनजामिन मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि

आदेश

वादीया श्री मती कमला देवी पत्नी जगदीश लाल गुर्जर निवासी जयपुर चुंगीनाका, देवलीगांव तहसील देवली को राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी संम्वत 2074—77 खाता संख्या 1022 ख. नं. 4989/4913 रकबा 1.00 है0 में से 0.64 है0 वाके ग्राम देवलीगांव तहसील देवली, का खातेदार घोषित किया जाता है।

निजी..मुवलिक..बाबत् ....

..................................खर्चा इस मुकदमें का मय सूद वगैरह .... फीसदी सालना आज की तारीख वसूलियाकि तक .... की अदा करें।

बसख्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज तारीख 12 माह 08 सन् 2021 को जारी किया गया।

दस्तख्त ....

ओहदा ....

मुहर

मुद्दई	रू.	पै.	मुद्दायलह	रू.	पै.
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प अदालत नामा			स्टाम्प अदालत		
स्टाम्प वजह सबूत			मेहनतान वकील		
मेहनतान वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत् इजरायहुक्मनामा		
बाबत् इजरायहुक्मनामा			अन्य मिजान		
अन्य					
मिजान					

नोट :— इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा पर दी फरीकेन का चाहे डिक्री के जरिये दिलाया हो या नही दर्ज करना चाहिए।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देवली, जिला – टोंक

(पीठासीन अधिकारी श्री भारत भूषण गोयल R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

मिसल संख्याः– 93 / 2021

निर्णय दिनांक :–12.08.2021

उनवानी दावा :

1. श्रीमति कमला देवी पत्नि जगदीश लाल गुर्जर जाति गुर्जर उम्र 47 वर्ष निवासी जयपुर चुंगीनाका देवलीगांव तहसील देवली जिला टोंक राज.

–वादीगण–

बनाम

1. सांवरा पुत्र मेवाराम जाति गुर्जर निवासी देवलीगांव तहसील देवली जिला टोंक राज.
2. सुनिता पुत्री मेवाराम जाति गुर्जर निवासी देवलीगांव तहसील देवली जिला टोंक राज.
3. तहसीलदार देवली जिला टोंक राज.

–प्रतिवादी–

उपस्थितिः–
श्री रामलाल कटारिया
अधिवक्ता वादीगण

इकबालिया जवाब
प्रतिवादी संख्या 1 व 2

दावा उदघोषणा खातेदारी व दुरूस्ती इन्द्राज

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। पत्रावली के तथ्य इस प्रकार है कि वादिया ने मेवा पुत्र मांगीलाल जाति गुर्जर निवासी देवलीगांव तहसील देवली जिला टोंक राज से उनकी खातेदारी की कृषि भूमि खसरा नं. 4989 / 4913 रकबा 1.00 है0 मे से 0.64 है0 मे से उत्तर का हिस्सा क्रय कर रजिस्ट्री करवा कर कब्जा प्राप्त कर काश्त कर रही है। जिसमें वादिया की वर्तमान मे सरसों की फसल खड़ी है। वादिया ने मेवा राम पुत्र मांगीलाल की खातेदारी की कृषि भूमि खसरा नं0 4989 / 4913 रकबा 1.00 है0 में से 0.64 है0 कृषि भूमि राशि 5,70,000 / – रूपये अक्षरे पांच लाख सत्तर हजार मे क्रय कर उप पंजीयक देवली मे रजिस्ट्री करवायी है। जिसका पंजीयन पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 243 पृष्ठ संख्या 194 क्रम संख्या 202003047100228 पर पंजीबद्ध किया है जिसका अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 610 के पृष्ठ संख्या 346 से 353 पर चस्पा कर दिनांक 22.05.2020 को दर्ज किया गया है। जिसका विक्रय पत्र क्रमांक 202001047000619 है। वादिया के जमीन क्रय करने के दस दिन बाद ही मेवाराम पुत्र मांगीलाल की आकस्मिक मृत्यु हो गयी। विक्रेता की मृत्यु हो जाने से वादिया द्वारा क्रय की गयी भूमि का वादिया के नाम नामान्तकरण नही खोला गया है। खातेदार मेवा राम पुत्र

भागीलाल की मृत्यु हो जाने से उक्त कृषि भूमि उनके वारिसान को विरासत से प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम खातेदारी दर्ज हो गयी। मृतक मेवाराम के वारिसान के नाम खातेदारी दर्ज हो जाने से वादिया द्वारा क्रय की गयी कृषि भूमि वादिया के नाम खातेदारी दर्ज नही हुआ है। वादिया के नाम खातेदारी करवाने के तहसीलदार महोदय देवली को वादिया के नाम का नामान्तकरण कर खातेदारी दर्ज किया जावें। श्रीमान तहसीलदार ने वादिया को सक्षम न्यायालय मे वाद दायर कर अनुतोष प्राप्त करने का आदेश दिया, इस कारण यह वाद पेश करने का कारण उत्पन्न हुआ है। वादिया द्वारा क्रय की गयी भूमि के खातेदार की मृत्यु हो गयी है। उसके द्वारा छोड़ी गयी कृषि भूमि उनके वारिसान के नाम विरासत से खातेदारी दर्ज हो गयी है। इस कारण वादिया क्रेता के नाम खातेदारी दर्ज नही हो रही है जबकि क्रेता द्वारा क्रय की गयी भूमि की अपने नाम खातेदारी दर्ज करवाने की अधिकारिणी है। श्रीमान तहसीलदार द्वारा वादिया के नाम क्रय की गयी भूमि की खातेदारी दर्ज नही करने के कारण वाद कारण उत्पन्न हुआ है, जो लगातार जारी है। श्रीमान तहसीलदार देवली द्वारा जारी सूचना पत्र वाद पत्र के साथ पेश है।

प्रतिवादीगण की तलबी जारी की गई।

प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 की ओर से अधिवक्ता श्री धर्मराज गुर्जर ने वकालतनामा व जवाब पेश किया जो इस प्रकार हैः—प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने अपने जवाब में वाद पत्र के चरण नं. 1 से 8 तक स्वीकार किया है। वाद पत्र का चरण सं. 9 व 10 कानूनी है जवाब की आवश्यकता नही है। वाद पत्र का चरण सं. 11 अधियाचना स्वीकार है। विशेष कथनः—जवाब दावा पेश कर निवेदन है कि हमारे स्व0 पिता द्वारा श्रीमती कमला देवी पत्नि जगदीश लाल गुर्जर को बेचान की गयी कृषि भूमि को हम दोनों भाई बहिन प्रतिवादी संख्या 1 व 2 सहमति से वादी की खातेदारी दर्ज करवाना चाहते है। अतः जवाब वाद पत्र के साथ राजीनामा पेश कर निवेदन है कि वादिया के बाद पत्र में सहमति से खातेदारी की घोषणा की डिक्री एवं आदेश फरमाया जावें।

उभयपक्ष ने साक्ष्य नहीं करवाना जाहिर किया।

उभयपक्ष ने सीधे ही बहस की प्रार्थना की।

उभयपक्ष अधिवक्ता ने अपनी बहस में राजीनामा के आधार पर डिक्री करने की प्रार्थना की।